

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(3)वित्त/कर/2025

जयपुर, दिनांक 01.06.2026

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के नियम 24 के अधीन अतिरिक्त आयुक्त के पद की वर्ष 2025-26 हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आस्थगित प्रकरणों (DEFERRED CASES) की बैठक दिनांक 08.05.2026 में की गई अभिशंषा पर निम्नांकित उपायुक्त के प्रकरण को लिफाफे में बंद रखने की अभिशंषा की गई है:-

क्र.सं	नाम
1	श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी

यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी.रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

W. T. S.

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)